



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98|
No. 98|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2004/वैशाख 9, 1926
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2004/VAISAKHA 9, 1926

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

सुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2004

सं. 371/12/2002-ए.वी.डी.-III.—भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड 1 में दिनांक 21 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प संख्या 89 का आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त संकल्प के प्रारंभिक पैरा तथा पैरा-2 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

(i) संकल्प के प्रारंभिक पैरा को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :

"जबकि श्री सायेन्द्र दुबे की हत्या के सम्बन्ध में रिट याचिका (सी.) संख्या 539/2003 की सुनवाई करते समय, 'पर्दाफाशों या भण्डाफोर्डों (विसल ब्लोअर्स)' से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने के लिए उपयुक्त तंत्र का प्रश्न उठा"।

(ii) संकल्प के अंग्रेजी पाठ के पैरा 2 में शब्द 'designateed' (डेजिगनेटीड) को शब्द 'designated' (डेजिगनेटेड) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

श्रीमती मंजुलिका गौतम, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 2004

No. 371/12/2002-AVD.III.—In partial modification of the Government of India's Resolution No. 89, published in the Gazette of India Part I Section 1, Extraordinary dated 21st April, 2004, the following modifications are made in the opening para and para-2 of the said Resolution :

(i) The opening para of the Resolution is substituted as :

"Whereas while hearing Writ Petition (C) No. 539/2003 regarding the murder of Shri Satyendra Dubey, the question of a suitable machinery for acting on complaints from 'whistle-blowers' arose"

(ii) In para 2 the word "designateed" is substituted as "designated".

Smt. MANJULIKA GAUTAM, Addl. Secy.